न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, जिला हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी– चंचल वर्मा आर.ए.एस.

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या– 25/2019

1. बालकिशन पुत्र नौरग जाति ब्राहमण निवासी बडबिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

–अपीलान्ट

अतिरिक्त जिला कलेक्टर नोहर

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– असल रेस्पोडेन्ट

2. रामस्वरूप पुत्र देवीलाल जाति ब्राह्मण साकिन बडबिराना तहसील नोहर।
3. दलीप पुत्र देवीलाल जाति ब्राह्मण साकिन बडबिराना तहसील नोहर।
4. बंजरग पुत्र लीलाधर जाति ब्राह्मण साकिन बडबिराना तहसील नोहर।
5. पालाराम पुत्र लीलाधर जाति ब्राह्मण साकिन बडबिराना तहसील नोहर।
6. सत्यनारायण पुत्र सुरजाराम जाति ब्राह्मण साकिन बडबिराना तहसील नोहर।
7. तोलाराम पुत्र रामलाल जाति ब्राह्मण साकिन बडबिराना तहसील नोहर।
8. अनिल कुमार पुत्र रामलाल जाति ब्राह्मण साकिन बडबिराना तहसील नोहर।
9. मांगेलाल पुत्र सुखलाल जाति ब्राह्मण साकिन बडबिराना तहसील नोहर।
10. सन्दीप कुमार पुत्र सुखलाल जाति ब्राह्मण साकिन बडबिराना तहसील नोहर।
11. बाधोदेवी पत्नी सुखलाल जाति ब्राह्मण साकिन बडबिराना तहसील नोहर।
12. गांधीराम पुत्र गुगनराम जाति ब्राह्मण साकिन बडबिराना तहसील नोहर।
13. राधेश्याम पुत्र गुगनराम जाति ब्राह्मण साकिन बडबिराना तहसील नोहर।
14. भूपसिंह पुत्र गुगनराम जाति ब्राह्मण साकिन बडबिराना तहसील नोहर।
15. राजेन्द्र पुत्र गुगनराम जाति ब्राह्मण साकिन बडबिराना तहसील नोहर।
16. प्रभुदयाल पुत्र गुगनराम जाति ब्राह्मण साकिन बडबिराना तहसील नोहर।

27.12.2023

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

–तरतीबी रेस्पोडेन्टस

उपस्थितः– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता अपीलांट।

श्री कुलदीप सिंह खुड़िया अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या–2, 4, 5

श्री मांगीलाल बैनिवाल अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या– 6, 15, 16

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर

निर्णय

दिनांक–

अपीलांट बालकिशन पुत्र नौरग जाति ब्राहमण निवासी बडबिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ द्वारा विरूद्व नामान्तरण संख्या 552 दिनांक 01.10.2015 रोही मौजा चक 7 आर. एम. जी जिसकी रूह से नामान्तरण स्वीकृत किया गया को, अपास्त करवाकर पुनः नामान्तरण सही हिस्सा कस्मी के अनुसार दर्ज करवाने बाबत अपील प्रस्तुत की है, जिसके संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है–

1. अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 552 दिनांक 1.10.2015 रोही मौजा चक 7 आर.एम.जी विधि विरूद्व गैर कानूनी ढंग से दर्ज किया गया है, जो अपास्तनीय है।
2. रोही मौजा चक 7 आर.एम.जी तहसील नोहर की जमाबन्दी सम्बत 2073–76 के खाता सं. 81/63 की कुल तादादी 29.5930 हैक्ट भूमि में लीलाधर पुत्र भूरा 1/42 हिस्सा, रामस्वरूप, दलीप, पि0 देवीलाल ब.हि.ब. 1/42 हिस्सा, रामलाल, सत्यनारायण पि0 सुरजा ब.हिं.ब. 2/42 हिस्सा मांगीलाल, सन्दीप कुमार पि0 सुखलाल, बादो देवी पत्नी सुखलाल ब.हि.ब. 1/42 हिस्सा, बालकिशन पुत्र नौरग, गुगनराम पि0 तुलछी ब.हि.ब. 2/42 हिस्सा संयुक्त तौर से दर्ज हिस्सा है एवं रामलाल व सुखलाल गुगनराम के वारिसान को उन्हें अपील में तरतीबी रेस्पो0 प्रतिस्थापित किया गया है। देवीलाल की फौतदगी के बाद विरासतन नामान्तरण हिस्सा कतई गलत तौर से दर्ज किया गया है। इसलिए नामान्तरण संख्या 552 अपास्तनीय है।
3. रोही मौजा चक 7 आर. एम. जी. का नामान्तरण संख्या 552 दिनांक 01.10.2015 की कुल 29.5930 हैक्ट भूमि के खातेदार देवीलाल फौत हो चुका है तथा बाद फौतदगी कृषि भूमि में नामान्तरण दर्ज करते समय लिलाधर पुत्र भूरा का 1/48 हिस्सा, रामस्वरूप, दलीप पि0 देवीलाल ब.हि.ब 1/48 हिस्सा, रामलाल, सत्यनारायण पि0 सुरजाराम ब.हि.ब. 2/72 हिस्सा मांगीलाल, सन्दीप कुमार पि0 सुखलाल, बादो देवी पत्नी सुखलाल ब.हि.ब. 1/72 हिस्सा बालकिशन पुत्र नौरग, बालकिशन पि0 नौरग 1/24 हिस्सा व गुगनराम पि. मु. तुलछी 1/24 हिस्सा दर्ज होना चाहिए था एवं नामान्तरण सख्या 552 दिनांक 01.10.2015 दर्ज करते समय लीलाधर पुत्र भूरा 1/42 हिस्सा, रामस्वरूप, दलीप, पि0 देवीलाल ब.हि. ब. 1/42 हिस्सा, रामलाल, सत्यनारायण, सुखलाल पि0 सुरजा, बालकिशन पुत्र नौरग, गुगन पि0 मु. तुलछी 5/72 हिस्सा दर्ज हुआ है। चूंकि राजस्व विभाग के द्वारा नामान्तरण

27.12.2023
अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

में कांट छांट कर अपीलान्ट के हिस्से कतई गलत तौर से दर्ज किये तथा रेस्पोडेन्टस सं0 1 ने कतई गौर न करके नामान्तरण स्वीकृत कर दिया तथा उपरोक्त नामान्तरण कतई विधि विरूद्ध एवं गैर कानूनी ढंग से दर्ज किया गया है, जो अपास्तनीय है।

4. रोही मौजा चक 7 आर. एम. जी. की कुल 29.5930 हैक्ट. भूमि में लीलाधर पुत्र भूरा 1/42 हिस्सा, रामस्वरूप, दलीप, पि0 देवीलाल ब.हि.ब. 1/42 हिस्सा रामलाल, सत्यनारायण पि0 सुरजा ब.हि.ब. 2/42 हिस्सा मांगीलाल, सन्दीप कुमार पि0 सुखलाल, बादो देवी पत्नी सुखलाल ब.हि.ब. 1/42 हिस्सा, बालकिशन पुत्र नौरग, गुगनराम पि0 मु. तुलछी ब.हि.ब. 2/42 हिस्सा दर्ज था एवं देवीलाल की फौतदगी के बाद हिस्सा उनके वारिसान के दर्ज होना था परन्तु पटवार हल्का चक 7 आर. एम. जी द्वारा हिस्सा कस्सी सही दर्ज के बाद नामान्तरण सं0 552 दिनाक 01.10.2015 में कांट–छांट कर हिस्सा गलत दर्ज कर दिया इसलिए नामान्तरण अपास्तनीय है।

5. देवीलाल की फौतदगी के बाद केवल उनके वारिसान के नाम नामान्तरण दर्ज होना था परन्तु रेस्पो0 सं0 1 ने वाद भूमि का नामान्तरण दर्ज करते समय नामान्तरण की विधिक प्रक्रिया अपना कर जाँच नही कि गई। अपीलान्ट एवं तरतीबी रेस्पो0 के गलत नामान्तरण दर्ज होने के कारण वाद भूमि में हिस्सा कस्से प्रभावित होगा। पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरण में कांट–छांट कर एवं जानबूझकर नामान्तरण को दूषित किया गया तथा रेस्पो0 स0 1 ने भी बिना जांचकर उपरोक्त नामान्तरण स्वीकृत कर दिया जो कतई गलत एवं विधि विरूद्व किया गया है, जो कि अपास्तनीय है।

6. अपीलाधीन नामान्तरण का पूर्व में अपीलान्ट को ज्ञान नही था तथा अपीलान्ट को कानूनी पेंचीदगियों का कतई ज्ञान नही रहा तथा अपीलान्ट ने उपरोक्त नामान्तरण में दर्ज गलत हिस्सा कस्सी को दुरूस्त करवाने के लिए रेस्पो0 सं0 1 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया रेस्पो० स० 1 ने पटवारी हल्का एवं भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर पंत्रांक क्रमांक 2844 दिनांक 05.09.2019 के आधार पर उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर को हिस्सा दुरूस्त करने हेतु उचित आदेश हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे लेकर अपीलान्ट उपखण्ड अधिकारी नोहर से मिला तो उन्होने कहा कि आप नामान्तरण की अपील पेश करो। जिसके अलगे दिन दिनांक 06.09.2019 को प्रमाणित प्रति प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर रहा है। द्वितीय देरी में क्षमा करने कारण रिटोरियस है तथा कथित नामान्तरण में कांट–छांट कर विधि की अवहेलना में पारित किया गया है तथा उक्त केस अन्दर मियाद है इसलिए खारिज योग्य नहीं है। फिर भी दफा 5 मियाद का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अलग से अपील मिमो के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार फरमाते हुये नामान्तरण संख्या 552 दिनांक 01.10.2015 को निरस्त फरमाते हुये रोही मौजा चक 7 आर.एम.जी तहसील नोहर में लिलाधर पुत्र भूरा 1/48 हिस्सा,

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

प्रकरण संख्या 25/2019 अनवानी बालकिशन बनाम सरकार

रामस्वरूप, दलीप पि0 देवीलाल ब.हि.ब. 1/48 – 1/48 हिस्सा व रामलाल सत्यनारायण पि0 सुरजा ब.हि.ब. 2/72 हिस्सा मांगीलाल, संदीप कुमार पि0 सुखलाल, बादो देवी पत्नी सुखलाल ब.हि.ब. 1/72 हिस्सा, बालकिशन पुत्र नौरग 1/24 हिस्सा व गुगन पि0 मु. तुलछी 1/24 हिस्सा के अनुसार नामान्तरण दर्ज करने के आदेश तहसीलदार राजस्व नोहर को दिया जावे ।

अपील पेश होनें पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या–01 का नोटिस बाद तामिल प्राप्त। रेस्पोडेन्ट संख्या–2, 4, 5 की ओर से श्री कुलदीप सिंह खुड़िया एडवोकेट उपस्थित हुये। रेस्पोडेन्ट संख्या 6, 15, 16 की ओर से श्री मांगीलाल बैनिवाल एडवोकेट उपस्थित हुये। रेस्पोडेन्ट संख्या– 9, 12, 13, 14 स्वंय उपस्थित हुये। रेस्पोडेन्ट संख्या– 3, 7, 8, 10, 11 के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुये लेकिन न तो स्वंय उपस्थित हुये और न ही उनकी ओर कसे कोई विधिक पैरोकार उपस्थित हुये, इसलिए रेस्पोडेन्ट संख्या 3, 7, 8, 10, 11 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नोहर से मूल नामान्तरण तलब किया गया। अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट एंव अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में पत्रावली को गुणावगुण के आधार पर निर्णय करनें बाबत निवेदन किया।

हमनें पत्रावली का अवलोकन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन किया। तहसीलदार द्वारा पटवारी रिपोर्ट के आधार पर हिस्सा दुरूस्तगी हेतू पत्र भी उपखंड अधिकारी के नाम प्रेषित किया गया है। अतः यह स्वीकार्य है कि उक्त नामान्तरण के दौरान गलत दर्ज हुए हिस्से को दुरूस्त किया जाना है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नामान्तरण निरस्त किया जाता है। पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि पुनः पूर्ण जाँच कर विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए हिस्से दर्ज किये जाए। अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा मूल नामान्तरण पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न कर लौटाई जावे। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज मेरे द्वारा लिखा जाकर आज दिनांक 27.12.2023 को सरेइजलास सुनाया गया।

(सील: अतिरिक्त जिला कलेक्टर नोहर)

27.12.2023
(चंचल वर्मा आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)